

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] No. 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 61(अ).—स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9, धारा 76 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

- 1. (1) इन नियमों को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
- 2. स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 (एतस्मिन् पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है), के नियम 6 में, शब्द 'पच्चीस' के स्थान पर शब्द 'एक सौ' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. उक्त नियमावली में, नियम 7 और नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा-
- **"7. अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी किए जाने हेतु आवेदन-** (1) अफीम पोस्त में चीरा लगाकर उसके रस को निष्कर्षित करके अफीम बनाने के लिए और ऐसे अफीम पोस्त से जिसमें चीरा लगाने के बाद भी कोई रस न निकलता हो उससे अफीम की भूस तैयार करने के लिए अफीम की खेती करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन जिला अफीम अधिकारी के पास फार्म सं०1 में किया जाना होगा।
- 8. अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस को जारी करना- (1) अफीम पोस्त में चीरा लगा करके रस का निष्कर्षण करके अफीम को तैयार करने के लिए अफीम की खेती करने हेतु नियम 7 के अंतर्गत आवेदन के प्राप्त हो जाने पर, लाइसेंस जारी किए जाने के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए जिला अफीम अधिकारी फार्म सं0. 2 में लाइसेंस जारी करेगा।
- (2) अफीम पोस्त से जिसमें चीरा लगाने के बाद भी कोई रस न निकलता हो उससे अफीम की भूस तैयार करने के लिए अफीम की खेती करने हेतु नियम 7 के अंतर्गत आवेदन के प्राप्त हो जाने पर, लाइसेंस जारी किए जाने के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए जिला अफीम अधिकारी फार्म सं0. 2ए में लाइसेंस जारी कर सकता है;

356 GI/2017 (1)

बशर्ते कि उपनियम के अंतर्गत लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ऐसे व्यक्ति की सहमित का पत्र नहीं प्रस्तुत कर देता है जिसको नियम 36क के अंतर्गत इस बात के लिए लाइसेंस जारी किया गया हो कि वह उस सारे अफीम पोस्त से उत्पादित संपूर्ण अफीम भस को खरीद सकता है जिससे कि चीरा लगाने के बाद भी रस न निकला हो:

बशर्ते और भी कि उपनियम (2) के अंतर्गत जिस व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया गया है वह व्यक्ति लाइसेंस जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार को एक हजार रूपए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र, जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है या उसके हिस्से के हिसाब से, भगतान करेगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि लाइसेंस को वापस ले लिया गया है।"

4. उक्त नियमावली में, नियम 10 में शब्दों "अफीम पोस्त की खेती की अनुमित दी जाती है" के स्थान पर "अफीम पोस्त में चीरा लगाकर रस का निष्कर्षण करके उससे अफीम तैयार करने हेतु अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिया गया है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमावली में, अध्याय 3 में निम्नलिखित अध्याय को अंतस्थापित किया जाएगा यथा-

अध्याय IIIक

ऐसे अफीम पोस्त जिसमें चीरा लगाने के दौरान कोई रस नहीं निकाला गया है, से उत्पादित पोस्त की भूस को रखना, उसका परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, वेयर हाउसिंग, बिक्री, खरीद, उपभोग और प्रयोग इस अध्याय के प्रयोजन से-

- (i) "लाइसेंसी" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे इन नियमों के नियम 36क के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया हो;
- (ii) "पोस्त भूस" से अभिप्राय अफीम की पोस्त की ऐसी भूस से है जिससे चीरा दिए जाने के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया है।
- **30क** (क) उत्पादित अफीम पोस्त की सुपुर्दगी- फार्म 2क में लाइसेंस प्राप्त िकसान केवल लाइसेंस प्राप्त िकसानों को अफीम पोस्त के भूस की सुपुर्दगी करेंगे और/अथवा बिक्री करेंगे तथा लाइसेंसी इस प्रकार से सुपुर्दगी की गयी अफीम भूस का तुलन करेगा तथा िकसान और केंद्रीय स्वापक ब्यूरो के कर्मचारी की उपस्थिति में इस प्रकार के पोस्त की भूस के दो प्रतिनिधित्व नमूने लेगा तथा जिस पर संबंधित िकसान और लाइसेंसी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे तथा दूसरे प्रतिनिधित्व नमूने को केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की ओर से एक वर्ष की अविध के लिए लाइसेंसी द्वारा भंडारण में रखा जाएगा जब तक िकसी भी विनिर्दिष्ट मामले में स्वापक आयुक्त द्वारा इस प्रकार के निदेश नहीं दिए जाएं तथा इसे यदि वांछित हो स्वापक आयुक्त द्वारा पदनामित अधिकारी को प्रस्तुत िकया जाएगा।
- (ख) उपखंड (क) में उल्लिखित किए अनुसार तुलन के पश्चात पोस्त की भूस के बचाव और सुरक्षा की जिम्मेवारी लाइसेंसी की होगी तथा दी गयी/ बिक्री की गयी पोस्त की भूस के भार प्रमाणित करते हुए फार्म 2क में प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, पोस्त भूस की तारीख और मात्रा के अंतिम सबूत होंगे जिसे किसानों द्वारा लाइसेंसी को दिया गया है/बेचा गया है।
- **30ख. पोस्त भूस के नमूनों का परीक्षण:**-नियम 30ख के अंतर्गत लिए गए एक नमूने की लाइसेंसी द्वारा जांच की जाएगी तथा जांच के परिणाम को केंद्रीय स्वापक ब्यूरो तथा संबंधित किसान, दोनों के साथ साझा किया जाएगा और स्वापक आयुक्त राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र रूप से दूसरे नमूने की जांच करवाएगा।
- 30ग. मिलावटी अथवा हल्के दर्जे की पोस्त की भूस पर कार्रवाई करने संबंधी प्रावधान:- लाइसेंसी द्वारा जांच किए जाने पर यदि पोस्त की भूस का कोई नमूना मिलावटी अथवा हल्के दर्जे का पाया जाता है तो स्वापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार पदनामित प्रयोगशाला द्वारा दूसरे नमूने की जांच की जाएगी तथा संबंधित किसान को समुचित नोटिस जारी किया जाएगा और दूसरे नमूने की जांच के परिणामों को अंतिम माना जाएगा।
- **30घ. पोस्त की भूस को कब्जे में रखना:-** (1) कोई भी व्यक्ति नियम 8 अथवा नियम 36क के अंतर्गत लाइसेंस के बिना अफीम पोस्त से उत्पादित पोस्त की भूस अपने पास नहीं रखेगा।
- **30ड. पोस्त भूस का भंडारण:-** (1) लाइसेंसी, जहां पर पोस्त की भूस का भंडारण किया जाएगा उस वेयरहाउस के ब्यौरे लिखित में स्वापक आयुक्त को संप्रेषित करेगा तथा ऐसे पोस्त की भूस के सुरक्षित भंडारण के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों से भी स्वापक आयुक्त को अवगत करवाएगा।
- (2) स्वापक आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी वेयरहाउस का निरीक्षण कर सकता है तथा इस प्रकार के सुझाव दे सकता है जोकि पोस्त की भूस के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक हों।
- **30च. पोस्त की भूस का अंतर्राज्यीय आयात और अंतर्राज्यीय निर्यात:-** (1) कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अंतर्गत पोस्त की भूसी रखने की अनुमित दी गयी है, स्वापक आयुक्त द्वारा पदनामित अधिकारी की कम से कम 5 कार्य दिवस की पूर्व सूचना देकर इस प्रकार की पोस्त का अंतर्राज्यीय आयात अथवा निर्यात कर सकता है।

- **30छ. पोस्त की भूस का परिवहन:-** पोस्त की भूस की किसी भी खेप का परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात अथवा अंतर्राज्यीय निर्यात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इस खेप के साथ फार्म सं० 2ख में दी गयी खेप की टिप्पणी संलग्न नहीं हो तथा इस नियम में दिए गए तरीके के अनुसार नहीं किया गया हो।
- (2) खेप की टिप्पणियों को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा तथा खेप की टिप्पणी की मूल और दूसरी प्रति को खेप के साथ खेप प्राप्तकर्ता को भिजवाया जाएगा जो दूसरी प्रति को मूल और दूसरी प्रतियों पर उसे प्राप्त मात्रा के विवरण को दर्शाते हुए इसके पृष्ठांकन के पश्चात इसे खेप भिजवाने वाले के पास रखे जाने के लिए लौटाएगा।
- (3) उप नियम (1) में संदर्भित खेप की प्राप्ति की पावती के खेप प्राप्तकर्ता द्वारा समुचित रूप से पृष्ठांकित किए जाने के पश्चात खेप भिजवाने वाले को दूसरी प्रति प्राप्त नहीं होने के मामले में खेप भिजवाने वाला, खेप भिजवाए जाने की तारीख के 10 दिन के भीतर स्वापक आयुक्त को खेप के गुम होने अथवा गायब होने की रिपोर्ट करेगा।
- (4) खेप टिप्पणी को खेप भिजवाने वाले और खेप प्राप्त करने वाले द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए संभालकर रखा जाएगा।
- (5) कोई भी परिवहनकर्ता बिना खेप टिप्पणी के उपनियम (1) में संदर्भित खेप लेकर नहीं जाएगा।
- (6) अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर परिवहनकर्ता खेप टिप्पणी को प्रस्तुत करेगा।
- (7)(क) जब कभी पोस्त की भूस को मोटर वाहन वाले टेंकरों अथवा कंटेनरों अथवा किसी अन्य माध्यम से पैकेजों में परिवहन किया जाता है तो ऐसे टैंकरों अथवा कंटेनरों अथवा पैकेजों, जैसा भी मामला हो के सभी इनलैट और आउटलैट टैंपरप्रूफ सील द्वारा सील किए जाएंगे तथा प्रत्येक का पहचान करने योग्य विवरण होगा तथा इस प्रकार की सील खेप भिजवाने वाले की परिसर में लगवाई जाएगी तथा खेप प्राप्तकर्ता के परिसर में हटाई जाएगी और स्वापक आयुक्त यदि चाहे तो कंटेनरों, माल वाहनों अथवा पैकेजों पर यथा आवश्यक टैंपरप्रूफ सील लगवा सकता है।
- (ख) ऐसे टैंकरों अथवा कंटेनरों अथवा पैकेजों पर लगाई गई टैंपरप्रूफ सील का विवरण, प्रत्येक खेप की खेप टिप्पणी में दर्ज किया जाएगा।
- (ग) कोई भी व्यक्ति किसी टैंपरप्रूफ सील का प्रयोग नहीं करेगा अथवा इसे अपने पास नहीं रखेगा जिसका पहचान का विवरण किसी दूसरी टैंपरप्रूफ सील जैसा ही हो।
- **30ज. पोस्त भूस का उपभोग और प्रयोग:-** 36क के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार, के मामलों को छोड़कर पोस्त भूस का उपभोग और प्रयोग वर्जित है।
- **30झ. पोस्त भूस का निस्तारण:-** पोस्त भूस के भंडार, जो कि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो सकता है जिसको नियम 8 या नियम 36क के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया गया हो, ऐसे लाइसेंस के समाप्त हो जाने पर या रद्द या वापस कर दिए जाने पर, का इस तरीके से निपटान किया जाएगा जोकि स्वापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- **30ज. पोस्त भूस को नष्ट करना:-** (1) कोई व्यक्ति जिसे नियम 8 अथवा नियम 36क के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया गया है तथा वह अपने कब्जे वाले पोस्त की भूसी के इस प्रकार के स्टॉक को नष्ट करना चाहता है तो वह इस बारे में स्वापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके के अनुसार आवेदन करेगा।
- (1) स्वापक आयुक्त, उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त किसी आवेदन की तारीख के 30 दिन के भीतर, पोस्त भूस को नष्ट करने की निगरानी करने के लिए स्वापक आयुक्त के कार्यालय के 2 राजपत्रित अधिकारियों वाली एक समिति और आवेदक के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा और इस प्रकार नष्ट किए जाने की यह प्रक्रिया समिति की नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर कर ली जाएगी।
- (3) पोस्त भूस को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया उस समय लागू संगत कानूनों के प्रावधान के अनुसार की जाएगी।"
- 6. उक्त नियमों में फार्म नं०1 और फार्म नं० 2 के स्थान पर निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"फार्म सं० 1 (नियम 7 देखें)

अफीम अथवा पोस्त भूस के उत्पादन के क्रम में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिए जाने संबंधी आवेदन

	फसल वर्ष
1. किसान का नाम	
2. पिता का नाम	
3. गांवजिलातहसीलजिलाजिला	
4. भमि के उस भखंड का खसरा नं० जिसमें पोस्त की खेती की जानी है	

		नुसार भूखंड आवेदक वे		ग़ं/नहीं, यदि नहीं,	तो किसके नाम पर
है?					
6. क्या कॉलम	न 4 में विनिर्दिष्ट भ <u>ृ</u>	पूखंड में सिंचाई सुविधाएं	हैं(उपलब्ध सिंचाई	सुविधाओं का स्वरूप	ग अर्थात कुंआ, टयूबवेल
इत्यादि					
7. अफीम पोस्त	की खेती के लिए अपेर्ी	क्षेत क्षेत्र			
8. क्या आवेदक	िने विगत में अफीम	पोस्त की खेती की थी? ह	ां/नहीं, यदि हां तो अं	तिम वर्ष जिसमें अफी	म पोस्त की खेती की गई
थी					
9. क्या आवेदक	पर अफीम पोस्त की	खेती करने की रोक लगाई	गयी थी या मिलावटी	अफीम प्रस्तुत करने, अ	।धिक खेती करने, विभागीय
अनुदेशों का उल	लंघन करने के लिए उ	सका लाइसेंस रद्द किया गय	ग था। यदि यह सही है	है तो इस प्रकार की रो	क लगाए जाने का वर्ष और
-	·	•			•
10. यदि यह अ	विदन उस अफीम पोस्	त जिससे चीरा लगाने के मा	ध्यम से कोई रस नहीं	निकाला गया है, से प <u>ो</u>	स्त भूस के उत्पादन के क्रम
		ा ऐसे व्यक्ति से सहमति का	~		••
		इसेंस जारी किया गया है?हां			<u> </u>
					+
		त वर्ष के दौरान मेरी मृत्यु ह	हाजानका स्थितिम	लाइसस का पारवार व	ानम्रालाखत सदस्या/सग
सर्बोधयो (वरीय	ता क्रम में) अंतरित क	र दिया जाए:-			
	Γ	C> · · · -			6
क्रम संख्या 1.	नाम	किसान से संबंध	गांव	तहसील	जिला
2.					
				,	
	रिवार के सदस्यों/ सर्ग	संबंधियों से अभिप्राय है- परि	ते/ पत्नी, पुत्र, पुत्री, भा	ाई, बहन, माता-पिता,	सौतेला पुत्र और सौतेली
पुत्री।					25 - 60 - 00
म एतद्द्वारा प्रम विवाद नहीं चल	• • •	र्युक्त में दर्शाए गए विवरण	सहा ह तथा भूमि ।जस	पर अफाम पास्त का र	व्रताका जानाह, परकाइ
ापपाद गहा परा	(हा हा				
				आवेदन के	हस्ताक्षर/ अगूंठे का निशान
					<i>(</i>
अनप्रमाणन (लग्	- बरदार द्वारा किया जा	ाए, यदि अफीम पोस्त को ची	ारा लगाकर अफीम का	रस निकालते हए उत्प	ादन के लिए अफीम पोस्त
•	ु आवेदन किया जाता ह	·		,	, ,
		~			
		(प्रभारी उप-निरीक्षक	द्वारा पूरा किया जाए)		
क. अफीम पोस्त					
		ान किसान का कार्य-निष्पाद			
ख. चारानहा	लगाए गए पोस्त भूस	क सबध म			
<u></u>	22 -2- 2				
	र्ष के दौरान किसान का				
ानाइसाक्षा ग	चा पाय				

	স						
		.ने, घटिया/ मिलावटी अफीम के कारण निषिद्ध किया गया है			भूस इत्यादि जमा करवाने और		
				ह	रस्ताक्षर (प्रभारी उप-निरीक्षक)		
उप-निरीक्षक द्वारा	उपर्युक्त रिकॉर्ड वि	hए गए विवरणों को मैंने सत्या	ापित कर लिया है। ि	केसान लाइसेंस दिए	जाने के लिए पात्र/ अपात्र है।		
					हस्ताक्षर (प्रभारी निरीक्षक)		
अफीम पोस्त की खे	व्रेती के लिए जिला	अफीम अधिकारी द्वारा आवंटि	त क्षेत्र				
		[निय भ (केन्द्रीः	फॉर्म सं. 2 यम 8(1) देखें] ारत सरकार य स्वापक ब्यूरो)		ाक्षर (जिला अफीम अधिकारी)		
जफा प्रभाग :		नगा कर रस निकालते हुए अर्प अवधि के लिए वैध :		१ए अफाम पास्त का	खता करन का लाइसस		
लाइसेंस धारक का नाम और वंश	गांव	परगना/ जिला/ तहसील	लाइसेंस संख्या	लाइसेंस दिया गया क्षेत्र	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भू-खण्ड		
फॉर्म 1 में घोषित	नामिती						
क्रम सं. नाम		किसान के साथ संबंध	प्र गांव	तहसील	जिला		
1. 2.							
जारी किए जाने र्क	ो तारीख :	जिला	[.] अफीम अधिकारी वे	_{हिस्ताक्षर और मुहर}			
पैमाइश किया गया क्षेत्र			उप-निरीक्षक के हस्ताक्षर				
परीक्षण किए गए पैमाइश			निरीक्षक/ जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर				
खेती किया गया क्षे	াস		उप-निरीक्षक के ह	स्ताक्षर			

(तुलन के समय की जाने वाली प्रविष्टियां)

डी.ओ.ओ. द्वारा यथा निर्धारित अफीम की श्रेणी	अफीम का भार (किग्रा. में)	70°C पर माना गया भार (किग्रा.)	70°C पर माने गये भार पर आधारित देय कीमत	अफीम के फैक्टर पर अंतिम जांच-पड़ताल किए जाने तक रोक कर रखी गई धनराशि	तुलन के समय अदा की गई धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(अंतिम भुगतान के समय की जाने वाली प्रविष्टियां)

		,		
फैक्ट्री रिपोर्ट के आधार पर	किसान की औसत	फैक्ट्री रिपोर्ट के आधार पर	तुलन के समय पहले से	अंतिम भुगतान के
70∘C पर अफीम का कुल	उपज (किग्रा.)	देय कुल धनराशि	अदा की गई धनराशि	समय अदा की गई/
भार (किग्रा.)				प्राप्त धनराशि
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

लाइसेंस की शर्तें

- 1. यह लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा।
- 2. लाइसेंसधारक, लाइसेंस में विनिर्दिष्ट भूमि के क्षेत्र और भूखण्ड में अफीम पोस्त पर चीरा लगा कर रस निकालते हुए अफीम के उत्पादन के लिए ही अफीम पोस्त की खेती करेगा।
- 3. वह भूमि जिसमें लाइसेंसधारक द्वारा अफीम पोस्त की खेती की जाएगी, विवाद से मुक्त होगी।
- 4. लाइसेंसधारक लम्बरदार द्वारा तौली गई फसल से प्राप्त अफीम का दैनिक संग्रहण प्राप्त करेगा तथा लम्बरदार द्वारा इस प्रकार की गई प्रविष्टि की सत्यता के संबंध में उसके द्वारा की गई प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा/ अगूंठे का निशान लगाएगा तथा गांव में केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रारम्भिक तुलन के दौरान वह इसे प्रस्तुत करेगा जिसके दौरान वह उसके द्वारा संग्रहीत सम्पूर्ण मात्रा को प्रस्तुत करेगा।
- 5. लाइसेंसधारक फसल से उसके द्वारा संग्रहीत सारी अफीम को तुलन के लिए निर्धारित और अधिसूचित स्थान पर पहुंचाएगा तथा उसके द्वारा इस प्रकार लाई गई अफीम के संबंध में, सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए निर्धारित मुल्य को स्वीकार करेगा।
- 6. लाइसेंसधारक तुलन के समय स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से अफीम सुपुर्द करेगा तथा उसकी अफीम को, जिला अफीम अधिकारी अथवा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 14 के अनुसार स्वापक आयुक्त की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की निगरानी में तौला जाएगा।
- 7. यदि लाइसेंसधारक अपनी अफीम की सम्पूर्ण उत्पादन को जमा नहीं करवाता है अथवा अपने पास बनाए रखता है, गबन करता है अथवा अन्यथा इसके किसी भी हिस्से का गैर-कानूनी रूप से निपटान करता है तो वह स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार अभियोजित किए जाने के लिए दाई है।
- 8. लाइसेंसधारक अफीम एकत्र करने में प्रयोग आने वाले सभी औजारों, बर्तनों और कपड़ों से और इस प्रकार के प्रयोग के परिणामस्वरूप निकलने वाली अफीम को जहां तक संभव हो सके, अधिक से अधिक एकत्र करेगा।
- लाइसेंसधारक द्वारा सुपुर्द की गई अफीम का अंतिम भुगतान जिला अफीम अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समुचित समय पर किया जाएगा।
- 10. यदि लेखा के अंतिम समायोजन के समय निर्धारती से कोई धनराशि ली जानी देय होती है तो वह इसे जिला अफीम अधाकरी अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधाकरी को विनिर्दिष्ट तरीके में इसका भुगतान करेगा। यदि लाइसेंसधारक उसे देय

धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो इस धनराशि की, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 72 में निर्धारित तरीके से उससे वसूली कर ली जाएगी।

- 11. लाइसेंस को कभी भी वापस लिया जा सकता अथवा रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंसधारक के विरुद्ध किसी ऐसे तथ्य का पता चलता है जो उसे लाइसेंस दिए जाने के लिए अपात्र ठहराता हो।
- 12. लाइसेंसधारक स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी आदेश का पालन करेगा।
- 13. लाइसेंसधारक को लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के लिए स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड दिया जाएगा।

फॉर्म सं. 2क

[नियम 8(2) देखें]

भारत सरकार

(केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो)

ऐसे अफीम पोस्त जिसमें से चीरा लगाने के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया है, से पोस्त भूस के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती करने का लाइसेंस।

ग्भाग : <u> </u>		अवधि के लिए वैध :	से		
लाइसेंस धारक का नाम और प्रतिशत	गांव	परगना/ जिला/ तहसील	लाइसेंस संख्या	लाइसेंस दिया गया क्षेत्र	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भू-खण्ड संख्या
<u> </u>			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		 । का सम्पूर्ण उत्पादन खरीदने वे

फॉर्म सं0.1 में घोषित नामिती

सहमति पत्र दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	किसान के साथ संबंध	गांव	तहसील	जिला
1.					
2.					

जारा	कार	जान	का	तारीख	•	
~() \ ()	1 11/	411.1	1.1	(11 (1)4		

जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

(नियम 8 के उप-नियम 2 के द्वितीयक परंतुक के अनुसार अदा की गई धनराशि का ब्यौरा)

देय धनराशि	अदा की गई धनराशि	भुगतान का तरीका	भुगतान की तारीख

भुगतान प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम

पैमाइश किया गया क्षेत्र	उप-निरीक्षक के हस्ताक्षर
परीक्षण किए गए क्षेत्र की	निरीक्षक/ जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर
पैमाइश	·
खेती किया गया क्षेत्र	निरीक्षक/ जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर
नियम 36क के अंतर्गत	(क) लाइसेंसधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर तारीख
लाइसेंसधारक को दी गई/	सहित
बेची गई अफीम पोस्त से	(ख) उप-निरीक्षक/ जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर तारीख
निकाले गए पोस्त भूस जिसमें	सहित।
से कोई रस नहीं निकाला	
गया, का भार	
परीक्षण के पश्चात रिकॉर्ड की	जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर
गई उपज	
क्या न्यूनतम अर्हक उपज	जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर
प्राप्त की गई है।	
क्या उसे घटिया और/ अथवा	जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर
मिलावटी पोस्त भूस जमा	
करवाने के रूप में आकलित	
किया गया है।	

लाइसेंस की शर्तें

- 1. यह लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा।
- 2. लाइसेंसधारक, लाइसेंस में विनिर्दिष्ट भूमि के क्षेत्र और भूखण्ड में ऐसे अफीम पोस्त जिसमें चीरा लगाने के बाद भी कोई रस न निकलता हो उससे अफीम की भूस तैयार के लिए ही अफीम की खेती करेगा।
- 3. वह भूमि जिसमें लाइसेंसधारक द्वारा अफीम पोस्त की खेती की जाएगी, विवाद से मुक्त होगी।
- 4. यदि लाइसेंसधारक, उस अफीम पोस्त जिसमें से चीरा लगाने के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया है, से पोस्त भूस के सम्पूर्ण उत्पादन को ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचता है जिसे नियम 36क के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है तथा जिसे इस लाइसेंस के अंतर्गत पोस्त भूस के सम्पूर्ण उत्पादन को खरीदने संबंधी सहमित पत्र प्राप्त हुआ है और वह उसे अपने पास ही रखता है, गबन करता है तथा इसके किसी हिस्से का गैर-कानूनी रूप से निपटान करता है तो वह स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार अभियोजित किए जाने के लिए दाई होगा।
- 5. लाइसेंस को कभी भी वापस लिया जा सकता अथवा रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंसधारक के विरुद्ध किसी ऐसे तथ्य का पता चलता है जो उसे लाइसेंस दिए जाने के लिए अपात्र ठहराता हो।
- 6. लाइसेंसधारक स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी आदेश का पालन करेगा।
- 7. लाइसेंसधारक को लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के लिए स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड दिया जाएगा।

फॉर्म सं. 2ख

(नियम 3छ देखें)

खेप टिप्पणी

(अफीम की ऐसी पोस्त जिसमें से चीरा लगाने के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया है, से उत्पादित पोस्त भूस के परिवहन के लिए)

व्र	य का भिजव	शाए जान का ताराख आर समय:			
	1.	उस व्यक्ति का नाम और लाइसें	स संख्या जिसने ऐसी पोस्त जिसमें से		
		चीरा लगाने के माध्यम से कोई			
		भूस का उत्पादन किया है।			
	2.		कर्ता का नाम और डाक का पूरा पता		
		(लागू नहीं यदि खेपकर्ता उपर्युक	त (1) वाला व्यक्ति ही है)		
	3.	खेप प्राप्त करने वाले व्यक्ति का	नाम और डाक का पूरा पता जहां पर		
		खेप अंतिम रूप से पहुंचनी है।			
	4.	यदि खेप प्राप्तकर्ता नियम 36क	के अंतर्गत लाइसेंसधारक है तो		
		लाइसेंस संख्या का उल्लेख करे।			
	5.	खेप का विवरण और मात्रा			
	पोस्त भूर	त ले जाने वाले मोटर चालित	मोटर चालित टैंकरों/ कंटेनरों/	मात्रा कि	लोग्राम में
	टैंकर/ कंटे	नर/ पैकेजेज का ब्यौरा	पैकेजों की संख्या	सकल भार	कुल भार
	6.	परिवहन का तरीका (परिवहनक	र्ता का विवरण, वाहन की पंजीकरण		
		संख्या, एलआर/ आरआर, यदि प			
		किया जाता है)			
Ī	7.	मोटर चालित टैंकरों/ अन्य पैकेल			

खेपकर्ता के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान तथा तारीख (नाम स्पष्ट अक्षरों में)

7. खेप प्राप्तकर्ता द्वारा खेप प्राप्त करने की तारीख और समय

कुल संख्या और उनका विवरण

8. क्या उपर्युक्त (5) में उल्लिखित विवरण और मात्रा के अनुसार खेप : हां/ नहीं (यदि 'नहीं', तो नीचे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है। विवरण का उल्लेख करें)

खेप प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान तथा तारीख (नाम स्पष्ट अक्षरों में)

टिप्पणी : (1) खेप टिप्पणी को वार्षिक आधार पर क्रमबद्ध करके अनुक्रमित किया जाएगा।

- (2) यह खेप टिप्पणी लेन-देन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए संभालकर रखी जाएगी।
- (3) इस टिप्पणी में संदर्भित रिकॉर्ड को प्राधिकृत अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना होगा जब कभी उनके निरीक्षण/ अन्वेषण के दौरान ऐसी आवश्यकता हो"।

[फा. सं. एन-14013/03/2015-एनसी-I] विजय कुमार वालायन, अवर सचिव नोट - प्रधान नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 14 नवम्बर, 1985 की सा.का.नि. सं. 837(अ), के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में इनमें अधिसूचना सं. का.आ. 786 (अ), दिनांक 26 अक्तूबर, 1992, का.आ.599 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि.748 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्तूबर, 1994, सा.का.नि.82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350 (अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि.214 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि.763 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि.115 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि.217 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि.104 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि.639 (अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 2 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ.1661 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ.739 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि.470(अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि.905(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011, सा.का.नि.426(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014, सा.का.नि.74(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, सा.का.नि.224 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2015, सा.का.नि.359 (अ), दिनांक 5 मई, 2015, सा.का.नि.500 (अ), दिनांक 17 जून, 2015, सा.का.नि.685 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2017

- **G.S.R. 61(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (First Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, for the words "twenty-five", the words "one hundred" shall be substituted.
- 3. In the said rules, for rule 7 and rule 8, the following rules shall be substituted, namely:-
- "7. **Application for issue of licence for cultivation of opium poppy**.- (1) An application for issue of licence for cultivation of opium poppy for the production of opium extracting juice by lancing the opium poppy or poppy straw from opium poppy from which no juice is extracted through lancing shall be made in Form No.1 to the District Opium Officer.
- 8. **Issue of licence for cultivation of opium poppy**.- (1) On receipt of an application under rule 7 for cultivation of opium poppy for the production of opium extracting juice by lancing the opium poppy, subject to the general conditions relating to grant of licence notified by the Central Government, the District Opium Officer may issue a licence in Form No. 2.
- (2) On receipt of an application under rule 7 for cultivation of opium poppy for the production of poppy straw from opium poppy from which no juice has been extracted through lancing, subject to the general conditions relating to grant of licence notified by the Central Government, the District Opium Officer may issue a licence in Form No. 2A:

Provided that a licence under sub-rule (2) shall not be issued if the applicant does not produce a letter of consent from a person who has been issued a licence under rule 36A to purchase his entire produce of poppy straw from opium poppy from which no juice has been extracted through lancing:

Provided further that a sum of rupees one thousand per hectare of area licensed for cultivation or part thereof shall be paid to the Central Government by the person who is issued a licence under sub-rule (2) within 30 days from issue of such licence failing which the licence is deemed to be revoked."

- 4. In the said rules, in rule 10, for the words "opium poppy cultivation is permitted", the words "licence has been issued for cultivation of opium poppy for the production of opium extracting juice by lancing the opium poppy" shall be substituted.
- 5. In the said rules, after Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"CHAPTER IIIA

POSSESSION, TRANSPORT, IMPORT INTER-STATE, EXPORT INTER-STATE, WAREHOUSING, SALE, PURCHASE, CONSUMPTION AND USE OF POPPY STRAW PRODUCED FROM OPIUM POPPY FROM WHICH NO JUICE HAS BEEN EXTRACTED THROUGH LANCING

For the purpose of this chapter,--

- (i) "Licensee" shall mean the person licensed under rule 36A of these rules;
- (ii) "Poppy straw" shall mean opium poppy straw from which no juice has been extracted through lancing.
- **30A.** (a) Delivery of opium straw produced.- The cultivators licensed in Form No. 2A shall deliver and/or sell opium poppy straw only to the licensee and the licensee shall cause weighment of poppy straw so delivered and draw two representative samples of such poppy straw in presence of cultivator and official of Central Bureau of Narcotics and both the samples will be sealed by the Central Bureau of Narcotics with signatures of cultivator concerned and authorised representative of the licensee and the second representative sample shall be stored by the licensee on behalf of Central Bureau of Narcotics for a period of one year unless so directed by Narcotics Commissioner in any specific case and shall be produced to the officer designated by the Narcotics Commissioner, if so desired.
- (b) The safety and security of the poppy straw after the weighment as mentioned in sub-clause (a) shall be the responsibility of the licensee and the signature of authorised representative in Form 2A certifying the weight of the poppy straw tendered/sold shall be the conclusive proof of date and quantity of poppy straw which has been tendered/sold by the cultivators to the licensee.
- **30B.** Testing of samples of poppy straw.- One sample drawn under rule 30B shall be tested by the licensee and test result shall be shared both with Central Bureau of Narcotics and cultivator concerned and the Narcotics Commissioner, shall get second sample tested independently in accordance with guidelines framed by the Department of Revenue.
- **30C.** Provision for dealing with adulterated or inferior poppy straw.- In case of testing by licensee, if any sample of poppy straw is found to be adulterated or inferior, then second sample shall be tested by designated laboratory as may be specified by the Narcotics Commissioner, with due notice to the cultivator concerned and the test results of second sample shall be considered as final.
- **30D. Possession of poppy straw**.- (1) No person shall possess poppy straw produced from opium poppy without a licence under rule 8 or rule 36A.
- **30E. Storage of poppy straw.-** (1) The licensee shall communicate in writing to the Narcotics Commissioner the details of the warehouse where poppy straw shall be stored and the security measures put in place for safe storage of such poppy straw.
- (2) The Narcotics Commissioner or any other officer authorised by him may inspect the warehouse and may make such suggestions as are considered necessary for safe storage of poppy straw.
- **30F.** Inter-State import and Inter-State export of poppy straw.- (1) A person who is permitted under these rules to possess poppy straw may inter-State import or inter-State export such poppy straw with at least five working days prior intimation to the office designated by the Narcotics Commissioner.
- **30G.** Transport of poppy straw.- (1) No consignment of poppy straw shall be transported, imported inter-State or exported inter-State unless such consignment is accompanied by a consignment note in Form No. 2B and in the manner provided in this rule.
- (2) The consignment note shall be prepared in triplicate and the original and duplicate copies of the consignment note shall be sent along with the consignment to the consignee, who shall return the duplicate copy to the consignor for retention after endorsing on the original and duplicate copies the particulars of quantity received by him.
- (3) In case of non-receipt of duplicate copy by the consignor, duly endorsed by the consignee acknowledging the receipt of the consignment referred to in sub-rule (1), the consignor shall report loss or disappearance of the consignment to the Narcotics Commissioner within ten days from the date of dispatch of the consignment.
- (4) The consignment note shall be preserved for a minimum period of two years by the consignor and the consignee.
- (5) No transporter shall carry any consignment referred to in sub-rule (1) without a consignment note.

Crop year.....

- (6) The transporter shall produce the consignment note when required by an officer empowered under section 42 of the Act.
- (7) (a) Whenever poppy straw is transported by motorised tankers or container or otherwise by packages, all the inlets and outlets of such tankers or container or packages, as the case may be, shall be sealed with tamper-proof seals each of which shall have identifiable description and such seal shall be affixed at the premises of the consignor and removed at the premises of the consignee and the Narcotics Commissioner, if so desires, may also put tamper-proof seals on containers, carriages or packages as deemed necessary.
- (b) The description of tamper-proof seal affixed on such tankers or container or packages shall be entered on the consignment note of each consignment.
- (c) No person shall use or possess any tamper-proof seal which has identifiable description on it identical to another tamper-proof seal.
- **30H.** Consumption and use of poppy straw. Consumption and use of poppy straw is prohibited save in accordance with a licence issued under rule 36A.
- **30 I. Disposal of poppy straw.** The stocks of poppy straw as may be in the possession of a person who has been issued a licence under rule 8 or rule 36A, on the expiry or cancellation or surrender of such licence, shall be disposed of in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.
- **30J. Destruction of poppy straw**.- (1) A person who has been issued a licence under rule 8 or rule 36A intending to destroy such stocks of poppy straw as may be in his possession shall apply to the Narcotics Commissioner in such form and manner as may be specified by him in this regard.
- (2) The Narcotics Commissioner shall, within a period of thirty days from the date of receipt of an application under subrule (1), appoint a committee comprising two Gazetted Officer in the office of the Narcotics Commissioner, and an authorised representative of the applicant for supervising the destruction of the poppy straw and such destruction shall be carried out within a period of thirty days from the appointment of the committee.
- (3) The destruction of the poppy straw shall be carried out in accordance with the provision of the relevant laws for the time being in force.".
- 6. In the said rules, for Form No. 1 and Form No. 2, the following forms shall be substituted, namely:-

"FORM NO. 1

(See rule 7)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE FOR CULTIVATION OF OPIUM POPPY FOR PRODUCTION OF OPIUM OR POPPY STRAW

1.	Name of the Cultivator
2.	Father's name
3.	VillageTehsilDistrict
4.	Khasra No. of the plot of land in which poppy is to be cultivated
5.	Whether the plot is in the name of the applicant as per revenue records. Yes / No
	If not, in whose name?
6.	Whether the plot specified in column 4 has irrigation facilities (kind of irrigation facilities available, i.e., well, tube
	well, etc,
7.	Area required for opium poppy cultivation
8.	Whether the applicant cultivated opium poppy in the past? Yes / No
	If so, the latest year in which he cultivated opium poppy

- 9. Whether the applicant was ever proscribed from opium poppy cultivation or was de-licensed for tendering adulterated opium, excess cultivation, violations of Departmental instructions. If so, the year and the reasons for proscription......
- 10. If the application is for cultivation of opium poppy for the production of poppy straw from opium poppy from which no juice has been extracted through lancing, whether the letter of consent from a person who has been issued a licence under rule 36A to purchase entire produce of poppy straw is attached? Yes / No
- 11. I wish that in the event of my death during the current crop year, the licence may be transferred in the name of the following family members/blood relatives (in the order of preference):-

S. No.	Name	Relation with cultivator	Village	Tehsil	District
1.					
2.					

Explanation.- Family members/blood relatives means- spouse, son, daughter, brother, sister, mother, father, step-son and step-daughter.

I hereby certify that the particulars shown above are correct and the land in which opium poppy is to be cultivated is free from litigation.

Signature/Thumb-impression of the applicant

Signature (District Opium Officer)

Attestation (To be made by Lambardar if application is for cultivation of opium poppy for the production of opium extracting juice by lancing the opium poppy)

	(To be completed by the Sub-Inspector In-charge)
A.	For opium poppy juice
	Performance of the cultivator during the preceding crop year.
	Crop yearArea licensed
	Area measuredArea harvested
	Average yield at 70o C
B.	For unlanced poppy straw
	Performance of the cultivator during the preceding crop year.
	Crop yearArea licensed
	Area measuredArea harvested
	Average yield
	C. Whether the cultivator has ever been proscribed on account of excess cultivation, violation of Departmental instructions, tendering inferior/adulterated opium or unlanced poppy straw etc.? if so the particulars thereof.
	Signature (Sub-Inspector In-charge)
	The particulars above recorded by the Sub-Inspector haven been verified by me. The cultivator is eligible ineligible for grant of a licence.
	Signature (Inspector In-charge)
	Area allotted by the District Opium Officer for cultivation of opium poppy

FORM NO. 2

[See rule 8(1)] GOVERNMENT OF INDIA (CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS)

LICENCE TO CULTIVATE OPIUM POPPY FOR PRODUCTION OF OPIUM EXTRACTING JUICE BY LANCING THE OPIUM POPPY

parentag the lice		Par	rgana / District Tehsil		Licence number	Area licensed	No. (s) as per enue records
minee de	eclared in Form N	o. 1					
S. No.	Name		Relation cultivator	with	Village	Tehsil	District
1.							
2.							
te of issu	ne:					Signature a	of District Opi
ca micast	neasured				Signature	e of Inspector /	
ea Test-r							ector

(======================================							
Class of	Weight of	Assumed	Price payable on	Amount withheld	Amount paid at		
opium as	opium (in	weight in kg at	the basis of	pending final	weighments		
assigned	kg.)	70°C	assumed weight	examination of			
by D.O.O.			at 70°C	opium at factor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		

(Entries to be made at the time of final payment)

		Total amount payable		*
		on the basis of factory	*	
the basis of factory's	in Kg.	report	weighments	time of final
report				payments
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Signature and seal of District Opium Officer

Conditions of licence

- 1. This licence shall not be transferable.
- 2. The licensee shall cultivate opium poppy only for production of opium extracting juice by lancing the opium poppy over the area of land and the plot(s) specified in the licence.
- 3. The land in which opium poppy will be cultivated by the licensee shall be free from litigation.
- 4. The licensee shall get his daily collections of opium obtained from the crop weighed by the Lambardar and affix his signature / thumb-impression against each entry made by the Lambardar in token of correctness of such entry

made by the Lambardar and shall submit to preliminary weighments carried out by the staff of the Central Bureau of Narcotics in the village during which he shall produce the entire quantity collected by him.

- The licensee shall bring to, and deliver at the place fixed and notified for weighments all opium collected by him from the crop and shall accept for opium so brought by him the price fixed by the Central Government for that crop year.
- The licensee shall deliver the opium either himself or through any person authorised by him at the time of its weighment and his opium shall be weighed under the supervision of the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf by the Narcotics Commissioner in accordance with rule 14 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.
- 7. If the licensee does not surrender his entire produce of opium to government or retains, embezzles or otherwise illegally disposes of any part of the same he shall be liable to be prosecuted as per the provisions of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985.
- The licensee shall extract as much opium as is reasonably possible from all implements, pots and cloth used by him in collecting opium and impregnated with opium in consequence of such use.
- 9. The final payment for opium delivered by the licensee shall be made to him at appropriate time fixed by the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf.
- If on the final adjustment of accounts any sum is found due from the licensee, he shall pay it to the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf in the manner specified. If the licensee fails to pay the sum due from him it may be recovered from him in the manner prescribed by section 72 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- 11. The licence may be withheld or cancelled at any time if any fact is revealed against the licensee which makes him ineligible for grant of the licence.
- The licensee shall comply with the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Rules framed thereunder and any order issued by the competent authorities under the said Act from time to time.
- 13. The licensee shall be punishable under the relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for any breach of the conditions of the licence.

FORM NO. 2A

[See rule 8(2)]

		(CENTRAL E OPIUM POPPY FO AS BEEN EXTRAC	BURE R PR	ODUCTION	COTICS) OF POPPY STRA	W FROM OPIUM	POPPY
DIVISION:		VALID FOR THE	E PER	RIOD:	TO		
Name and parentage of the licensee	Village	Pargana / District/Tehsil		Licence number	Area licensed	Plot No. (s) as prevenue record	
produce	of	n holding a licence un		stra	-	f consent to purcha under	se entire
	ared in Form No.	1					
S. No.	Name	Relation cultivator	with	Village	Tehsil	District	
2.							

Date of	issue:

(Details of amount paid as per the second proviso to sub-rule (2) of rule 8)

Amount due	Amount paid	Mode of payment	Date of payment

Signature and name of the officer receiving the payment

Area measured	Signature of Sub-Inspector
Area Test-measured	Signature of Inspector / District Opium Officer
Area harvested	Signature of Inspector/ District Opium Officer
Weight of poppy straw from opium poppy from which no juice has been extracted through lancing tendered/sold to the licensee under Rule 36A	(a) Signature of authorised representative of licensee with Date(b) Signature of sub-Inspector/ District Opium Officer with Date
Yield recorded after testing	Signature of District Opium Officer
Whether achieves Minimum Qualifying Yield (MQY)	Signature of District Opium Officer
Whether adjudged as having tendered inferior and/or adulterated poppy straw	Signature of District Opium Officer

Conditions of licence

- 1. This licence shall not be transferable.
- 2. The licensee shall cultivate opium poppy only for production of poppy straw from opium poppy from which no juice has been extracted through lancing over the area of land and the plot(s) specified in the licence.
- 3. The land in which opium poppy will be cultivated by the licensee shall be free from litigation.
- 4. If the licensee does not sell his entire produce of poppy straw from opium poppy from which no juice has been extracted through lancing opium to the person holding a licence under rule 36A, who had given letter of consent to purchase entire produce of poppy straw under this licence, or retains, embezzles or otherwise illegally disposes of any part of the same he shall be liable to be prosecuted as per the provisions of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- 5. The licence may be withheld or cancelled at any time if any fact is revealed against the licensee which makes him ineligible for grant of the licence.
- 6. The licensee shall comply with the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the rules framed thereunder and any order issued by the competent authorities under the said Act from time to time.
- 7. The licensee shall be punishable under the relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for any breach of the conditions of the licence.

Form No. 2B

(See rule 30G)

CONSIGNMENT NOTE

(FOR TRANSPORT OF POPPY STRAW PRODUCED FROM OPIUM POPPY FROM WHICH NO JUICE HAS BEEN EXTRACTED THROUGH LANCING)

Date and time of	of dispatch of	the consignment	
------------------	----------------	-----------------	--

1.	Name and Licence Number of the person who has	
	produced poppy straw from opium poppy from which no	
	juice has been extracted through lancing	
2.	Name and complete postal address of the consignor	
	transporting the consignment (Not applicable if the	
	consignor is the same person at (1) above)	

3.	Name and complete pos where the consignment wi	stal address of the consignee Il reach finally		
4.	If the consignee is a holde mention Licence Number.	r of licence under rule 36A,		
5.	Description and quantity of	of the consignment.		
Details	of motorised tanker /	Number of motorised tanker/	Quantity (i	n Kilogram)
containe	r / packages containing	container / packages	Gross weight	Net weight
poppy st	raw			
6.	Mode of transport (particu	lars of the transporter,		
	registration number of the	vehicle, L.R./R.R., if the		
	transport is by road/railwa			
7.	The total number of te	emper-proof seals affixed on		
	motorised tankers / othe	r packages and each of their		
	description.			

Signature / thumb impression of the Consignor with date (Name in capital letters)

7. Date and time of receipt by the consignee

8. Whether the consignment received in full as per description : Yes / No (If 'no', details and quantity mentioned at (5) above to be mentioned below.)

Signature / thumb impression of the Consignee with date (Name in capital letters)

Note:

- (1) This consignment note shall be serially numbered on annual basis.
- (2) This consignment note shall be retained for a period of two years from the date of transaction.
- (3) The records referred to in this note shall be produced to the authorized officers whenever called upon during the course of their inspection / investigation.".

[F. No. N-14013/03/2015-NC.I]

VIJAY KUMAR BALAYAN, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated 28th December, 2011, G.S.R. 426(E), dated 1st July, 2014, G.S.R. 74(E), dated 5th February, 2015, G.S.R. 224 (E), dated 25th March, 2015, G.S.R. 359 (E), dated 5th May, 2015, G.S.R. 500 (E), dated 17th June, 2015, and G.S.R. 685 (E), dated 12th July, 2016.